राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 18/2026 (GCMS C.N. 2026/174) **निगरानी**

1. पूजा पुत्री जोधराज पत्नी बनाम कन्हैयालाल सुथार निवासी भोपालगढ हाल भुणास तह–सहाडा जिला भीलवाडा
2. भीमराज पिता जोधराज सुथार निवासी भोपालगढ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

1. सुनील पिता जोधराज सुथार निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा
2. कमला देवी पत्नी जोधराज सुथार निवासी भोपालगढ तहसील व जिला भीलवाडा
3. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भोपालगढ पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भोपालगढ तहसील भीलवाडा बमामाले पट्टा संख्या 28 दिनांक 25.05.2017

उपस्थित –

1. श्री श्यामलाल गुर्जर, अधिवक्ता, निगराकार की ओर से
2. श्री लोकेश गुर्जर, अधिवक्ता, गैर निगराकार 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 18/03/2026

निगराकारान द्वारा उक्त निगरानी अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत गैर निगराकारान के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन है किया है कि ग्राम भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाडा के अन्दर हल्का आबादी भूमि में एक पुश्तैनी मकान, निगराकार संख्या 01 व 02 के स्व0 पिता व गेर निगराकार संख्या 01 के पिता व 02 के पति स्व० जोधराज सुथार के जीवनकाल से निर्मितशुदा होकर मृतक जोधराज सुथार के विधिक वारिसानों का हक निहित होकर शांमलाती रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। स्व० जोधराज सुधार के जीवनकाल में उन्होने एक आवेदन अधीनस्थ ग्राम पंचायत भोपालगढ़ को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोपालगढ़ में पुराना मकान है इस मकान जमीन का बापी पट्टा बनवाना चाहता हूं। विगत काफी वर्षों से मेरे परिवार के कब्जे में होकर वर्तमान में मेरा कब्जा है। इसका पूर्व में पट्टा बना हुआ नहीं है, जिससे तथाकथित मकान का पट्टा बनाया जावे जिस पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली संधारित कर पट्टा बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई और अन्ततोगतवा दिनांक 25.05.2017 को स्व० जोधराज सुथार के पक्ष में पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाकर उपपंजीयक भीलवाड़ा के यहां पंजीकृत कराया गया जो विधि विरुद्ध होकर निरस्त गोग्य है। स्व० जोधराज का आवेदन

18.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

त्रुटिपूर्ण है व मृतक स्व० जोधराज सुथार के परिवार का सजरा इस प्रकार है कि स्व0 जोधराज फौत होकर उसका 1 पुत्र सुनील, 1 पुत्र भीमराज, 1 पुत्री पूजा व पत्नी कमला देवी है। पारिवारिक सजरे के अनुसार मृतक 04 विधिक वारिसान है और मृतक जोधराज सुधार के जीवनकाल में निर्मित नकान जो पुश्तैनी मकान होना दर्शाते हुए स्व० जोधराज सुधार ने अपने अकेले के नाम पर पंचायतराज सामान्य नियम 1966 के नियम 157 ख के तहत तथाकथित बापी पट्टा बनाया जो विधि विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है क्योंकि पुश्तैनी मकान में मृतक स्व० जोधराज सुधार के सभी विधिक वारिसान का हक हिस्सा निहित है, इसके उपरांत भी स्व० जोधराज सुथार ने अपने अकेले के नाम पर विहित नियम के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाया जो निरस्त योग्य है। प्रश्नगत पट्टा विलेख के पड़ौस इस प्रकार है– उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में नानू/नाना कुम्हार का मकान, पूर्व दिशा में बद्री पिता छोगा सुथार का मकान, पश्चिम दिशा ने मोहनी पत्नी रामचन्द्र सुथार का मकान। इन चारो पडौसियों के मध्य पुश्तैनी मकान का होना अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपने स्तर से जारी किया गया पट्टा विलेख में उल्लेखित किया गया जो निरस्त योग्य है। पंचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 ख में पुश्तैनी मकान बनाने का प्रावधान है किन्तु पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाते समय यह स्थिति स्पष्ट करना होता है कि मकान 50 वर्ष से अधिक या 50 वर्ष के दौरान निर्मित कराया गया है, किन्तु स्व० जोधराज सुथार ने अपने आवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया जिससे तथाकथित पट्टा निरस्त योग्य है। पंचायतराज सामान्य नियम 1996 के नियम 140 से लगायत नियम 160 तक पट्टा बनाने हेतु व्यवस्था दी गई है किन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पंचायतराज सामान्य नियम 1996 के नियम 140 से 160 के अंतर्गत बने गये नियमों की विधि अनुकूल पालना न करते गलत पट्टा जारी किया एवं जारी प्रश्नगत पट्टे में यह उल्लेख भी नहीं किया कि मकान 50 साल से पुराना है या 50 वर्ष के दौरान बनाया गया है। पट्टा बनाते समय पंचायत ने विधिक वारिसानों को अवगत नहीं कराया गया। पंचायत ने अपने आदेशिका में यह उल्लेख किया गया कि स्व जोधराज सुथार ने अपने आवेदन के साथ 60/– पंचायत शुल्क जमा करा दी गई। जबकि ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त राशि का जमा होना प्रकट नहीं होता है। पंचायत ने नियम 157–ख के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी कर पंजीकृत कराया है। उक्त पुश्तैनी मकान में मृतक स्व0 जोधराज सुथार के विधिक वारिसान संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

अतः निगराकारान की निगरानी स्वीकार कराई जाकर ग्राम पंचायत भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा ने ग्राम भोपालगढ़ के अंदर हल्का आबादी में स्थित पुश्तैनी मकान का पट्टा मृतक स्व० जोधराज सुधार के पक्ष में पट्टा संख्या 28 दिनांक 25.05.2017 को संकल्प संख्या–01 के आधार पर दिनांक 25.05.2017 को जारी किया गया तथा जिसका उपपंजीयक कार्यायलय के यहां दिनांक 30.06.2017 को पंजीकरण कराया गया जिसे निरस्त कराया जाकर विवादित पुश्तैनी मकान के सम्बन्ध में मृतक स्व ओधराव मुधार के सभी विधिक वारिसान के नाम पर पट्टा जारी करने हेतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत को आदेशित कराया जाये।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किए गए। गैर निगराकार 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

गैर निगराकार 01 व 02 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगराकार् की और से प्रस्तुत निगरानी गैर निगराकारान् संख्या–01 व 02 को पूर्ण रूप से स्वीकार है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा निरस्त कर दिया जावे तो हम गैर निगराकारान् को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त ईकबालिया जवाब के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

18.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकारान् की ओर से विवादित पट्टे के सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जायें तो हम गैर निगराकार संख्या–01 व 02 को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत पटटा संख्या 28 जो कि संयुक्त परिवार के मकान को बनाया गया है जो निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता के संयुक्त स्वामित्व में है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत राजीनामे के आधार पर स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा 28 दिनांक 25.05.2017 निरस्त किया जाता है व ग्राम पंचायत भोपालगढ पंचायत समिति सुवाणा को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत भोपालगढ पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.3.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा